

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2022—चैत्र 11, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, रजिया सिद्दीकी पत्नी श्री अंसार सिद्दीकी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम रजिया सिद्दीकी (RAZIYA SIDDIQUI) है जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि कुछ प्रपत्रों में मेरा नाम RAZIA SIDDIQUI, RAJIA SIDDIQUI एवं RAJIYA SIDDIQUI लिखा है जो कि गलत है, मेरा सही नाम रजिया सिद्दीकी (RAZIYA SIDDIQUI) है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रजिया सिद्दीकी (RAZIYA SIDDIQUI) के नाम से लिखा एवं पढ़ा, पहचाना जायेगा. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(रजिया सिद्दीकी)

(RAZIA SIDDIQUI)

(RAJIA SIDDIQUI) (RAJIYA SIDDIQUI)

(G-572)

नया नाम

(रजिया सिद्दीकी)

(RAZIYA SIDDIQUI)

नाम परिवर्तन

मैं, वेणुबाई देशमुख पत्नी स्व. श्री कैलाश देशमुख, निवासी 23, मराठी मोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे पति का नाम कैलाश देशमुख था. जो कि उनके वोटर कार्ड, विद्यालय की अंकसूची, चरित्र प्रमाण पत्र, उनके कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशन खाता क्रमांक 9863 एवं उनके भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता क्रमांक 10586243500 पर दर्ज है. एवं उनका बोलता नाम शशिकांत देशमुख था, जो की भूलवश उनके कुछ दस्तावेजों एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र पर दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में उनके सभी दस्तावेजों/अभिलेखों में उनका नाम शशिकांत देशमुख के स्थान पर कैलाश देशमुख पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम

(शशिकांत देशमुख)

(G-573)

नया नाम

(कैलाश देशमुख)

पत्नी—वेणुबाई पति कैलाश देशमुख,
पता— 23, मराठी मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम वंदना नलवाया (VANDANA NALWAYA) पुत्री श्री आनंद नलवाया था जो की मेरी अंकसूची में दर्ज है, विवाह के उपरान्त अब मेरा नाम वंदना जैन (VANDANA JAIN) पत्नी श्री संजय जैन हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेनकार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम वंदना जैन पत्नी श्री संजय जैन के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(**वंदना नलवाया**)
(**VANDANA NALWAYA**)

(G-574)

नया नाम

(**वंदना जैन**)
(**VANDANA JAIN**)

पत्नी-श्री संजय जैन,
पता-55, गोवर्धन धाम नगर,
उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शिव शर्मा आत्मज सुदर्शन पांडे जोकि मेरे सर्विस रिकार्ड के प्रथम पृष्ठ में दर्ज है. मुझे शिव शर्मा आत्मज सुदर्शन पांडे के नाम से जाना पहचाना जाता है. मैं अपना नाम एवं आत्मज का नाम परिवर्तन कर शिव शर्मा पाण्डेय आत्मज स्व. श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय कर रहा हूँ, मुझे भविष्य में शिव शर्मा पाण्डेय आत्मज स्व. श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय के नाम से जाना पहचाना जावे एवं शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में लिखा पढ़ा व मान्य किया जावे. मेरा नया नाम शिव शर्मा पाण्डेय आत्मज स्व. श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय है.

पुराना नाम

(**शिव शर्मा**)
आत्मज सुदर्शन पांडे,
6वीं बटालियन एस. ए. एफ.
'सी' समवाय रांझी, जबलपुर (म.प्र.).
(G-575)

नया नाम

(**शिव शर्मा पाण्डेय**)
आत्मज स्व. श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय,
6वीं बटालियन एस. ए. एफ.
'सी' समवाय रांझी, जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक तक मेरा नाम रामखेलावन कुशवाहा तनय रामदयाल कुशवाहा था, और यही नाम मेरे सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ अन्य समस्त अभिलेखों में अंकित है. किन्तु आज दिनांक से अपना नाम राम कुशवाहा (RAM KUSHWAHA) तनय रामदयाल कुशवाहा लिखने लगा हूँ, अतएव आज से मुझे रामखेलावन कुशवाहा (RAMKHELAVAN KUSHWAHA) के बजाय राम कुशवाहा (RAM KUSHWAHA) के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम

(**रामखेलावन कुशवाहा**)
(G-576)

नया नाम

(**राम कुशवाहा**)

नाम परिवर्तन

मैं, सीमा इंगोले पत्नि स्वर्गीय श्री दिनेश इंगोले, निवासी मकान नं. सी-117, साईनाथ कॉलोनी, महाबली नगर कोलार रोड, भोपाल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरी पति श्री दिनेश इंगोले की भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी जिसका पॉलिसी क्रमांक 354076070 है, मैं त्रुटिवश मेरा नाम माला इंगोले दर्ज हो गया है जो कि मेरा घर का नाम है. मेरा सही नाम सीमा इंगोले है एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सीमा इंगोले ही दर्ज व अंकित है. अतः भविष्य में मुझे सीमा इंगोले के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(**माला इंगोले**)
(G-577)

नया नाम

(**सीमा इंगोले**)

नाम परिवर्तन

मैं, देव कुमार कटारिया, पिता श्री दीपक कटारिया, उम्र 19 वर्ष निवासी 189, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टीला जमालपुरा, भोपाल म.प्र. 462001 उक्त पते पर निवासरत हूँ

यह कि मेरा नाम देव कुमार कटारिया है. बचपन में मेरा नाम देव खुराना था, बाद में मेरा नाम स्कूल में देव कुमार कटारिया दर्ज कराया गया तभी से मेरा नाम देव कुमार कटारिया चला आ रहा है. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम देव कुमार कटारिया ही अंकित है और मैं देव कुमार कटारिया के नाम से ही जाना जाता हूँ

अतः देव खुराना एवं देव कुमार कटारिया दोनों मेरे ही नाम हैं.

पुराना नाम

(देव खुराना)

(G-578)

नया नाम

(देव कुमार कटारिया)

नाम परिवर्तन

मैं, ऋचा अग्रवाल (Hricha Aggarwal) पिता श्री सीताराम गुप्ता, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी- ई-117, वत्सला पैराडाइज, शिव नगर, जबलपुर (म.प्र.). 482002, मेरे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम 'ऋचा निखिल अग्रवाल' (Hricha Nikhil Aggarwal) दर्ज है, के स्थान पर 'ऋचा अग्रवाल' (Hricha Aggarwal) दर्ज कराना चाहती हूँ.

अतः भविष्य में समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम 'ऋचा निखिल अग्रवाल' (Hricha Nikhil Aggarwal) के स्थान पर, 'ऋचा अग्रवाल' (Hricha Aggarwal) पढ़ा व लिखा जावे.

पुराना नाम

('ऋचा निखिल अग्रवाल')

(Hricha Nikhil Aggarwal)

(G-579)

नया नाम

('ऋचा अग्रवाल')

(Hricha Aggarwal)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम विक्रम कुमार पाटीदार VIKRAM KUMAR PATIDAR था, किन्तु अब मुझे मेरे नये नाम विक्रम पाटीदार VIKRAM PATIDAR पुत्र श्री रामबिलास पाटीदार के नाम से जाना, पहचाना पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(विक्रम कुमार पाटीदार)

(VIKRAM KUMAR PATIDAR)

(G-580)

नया नाम

(विक्रम पाटीदार)

(VIKRAM PATIDAR)

पता- ग्राम माण्डा, तहसील-जावद,

जिला नीमच, म.प्र.

नाम परिवर्तन

मैं, दूधनाथ मौर्य पिता स्व. रामदुलारे मौर्य उम्र 62 वर्ष निवासी गणेश नगर, ज्ञानविद्या पब्लिक स्कूल के पास, कछपुरा, जबलपुर म.प्र. मैं, पावर मैनेजमेन्ट कंपनी में कार्यरत था, जो कि 31-12-2021 को सेवानिवृत्त हो गया हूँ, मेरी सेवा पुस्तिका प्रथम भाग में दूधनाथ मुराव दर्ज है, क्योंकि मेरा पूर्ण दस्तावेज दूधनाथ मौर्य के नाम से बना हुआ है. जैसे कि- पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मकान एवं बच्चों के समस्त डाक्यूमेंट आदि मौर्य के नाम से हैं. मेरी सेवा पुस्तिका में दूधनाथ मुराव की जगह दूधनाथ मौर्य दर्ज किया जावे. दूधनाथ मौर्य एवं दूधनाथ मुराव दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं.

पुराना नाम

(दूधनाथ मुराव)

(G-581)

नया नाम

(दूधनाथ मौर्य)

पता- गणेश नगर, ज्ञानविद्या पब्लिक स्कूल के पास,

कछपुरा, जबलपुर.

नाम परिवर्तन

मैं, आकाश मावदे पिता श्री सुधाकर राव मावदे, निवासी- एच.आई.जी.-बी-114, मुखर्जी नगर, अन्नापूर्णा मंदिर के पास, विदिशा म.प्र. 464001. मेरे पुत्र का जन्म के समय नाम- इधांत मावदे (IDHANT MAVADE) लिखा गया है, परंतु आज मेरे परिवार के समस्त परिजनों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि मेरे पुत्र इधांत मावदे (IDHANT MAVADE) के स्थान पर मेरे पुत्र को भविष्य में नाम इधांत मलोदे (IDHANT MALODE) नाम को सभी अभिलेखों में अंकित कर जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा समझा जावे.

पुराना नाम

(इधांत मावदे)
(IDHANT MAVADE)

(G-582)

नया नाम

(इधांत मलोदे)
(IDHANT MALODE)

पिता आकाश मावदे
निवासी- एच.आई.जी. बी-114, मुखर्जी नगर,
अन्नापूर्णा मंदिर के पास, विदिशा म.प्र.

नाम परिवर्तन

मैं, आकाश मावदे पिता श्री सुधाकर राव मावदे, निवासी- एच.आई.जी.-बी-114, मुखर्जी नगर, अन्नापूर्णा मंदिर के पास, विदिशा म.प्र. 464001. मेरे पुत्र का जन्म के समय नाम- तक्ष मावदे (TAKSH MAVADE) लिखा गया है, परंतु आज मेरे परिवार के समस्त परिजनों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि मेरे पुत्र तक्ष मावदे (TAKSH MAVADE) के स्थान पर मेरे पुत्र को भविष्य में नाम तक्ष मालोदे (TAKSH MALODE) नाम को सभी अभिलेखों में अंकित कर जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा समझा जावे.

पुराना नाम

(तक्ष मावदे)
(TAKSH MAVADE)

(G-583)

नया नाम

(तक्ष मलोदे)
(TAKSH MALODE)

पिता आकाश मावदे
निवासी- एच.आई.जी. बी-114, मुखर्जी नगर,
अन्नापूर्णा मंदिर के पास, विदिशा म.प्र.

नाम परिवर्तन

मैं, जय प्रकाश सोभानी आ. दिलीप कुमार सोभानी पता एम.आई.जी.डी- 28 नेहरू नगर भोपाल द्वारा मेरा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में फोलियो नं. 108302693 अशोक सोभानी लिखा गया था. अशोक सोभानी एवं जय प्रकाश सोभानी एक ही व्यक्ति के नाम हैं रिलायंस के दस्तावेज में गजट नोटिफिकेशन में मेरा नाम सही कराना है अब मेरा नाम जय प्रकाश सोभानी के नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम

(अशोक सोभानी)
(G-584)

नया नाम

(जय प्रकाश सोभानी)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह होने के उपरान्त मैंने अपने नाम में परिवर्तन कर कामिनी खुबानी Kamini Khubani के स्थान पर धर्मिष्ठा साधवानी (Dharmishta Sadhwani) पत्नी श्री नारायणदास साधवानी (Naraindas Sadhwani) कर लिया है. अतः मुझे मेरे नये नाम धर्मिष्ठा साधवानी (Dharmishta Sadhwani) पत्नी श्री नारायणदास साधवानी (Naraindas Sadhwani) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा एवं मेरी पुत्री लवली साधवानी के स्कूल के समस्त अभिलेखों

मार्कशीट/ दस्तावेजों में भी मेरा नाम धर्मिष्ठा साधवानी (Dharmishta Sadhwani) पत्नी श्री नारायणदास साधवानी (Naraindas Sadhwani) अंकित किया जाये संबंधित विभाग संस्थान को जनसूचित हो.

पुराना नाम (कामिनी खुबानी) (Kamini Khubani)	नया नाम (धर्मिष्ठा साधवानी) (Dharmishta Sadhwani) पत्नी श्री नारायणदास साधवानी (Naraindas Sadhwani)
(G-585)	निवासी- ए-79, एकशोटिका विला, सुविध विहार, एयरपोर्ट रोड, आशाराम बाबू चौराहा, लालघाटी, भोपाल, म.प्र.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्री जितेन्द्र सेन (JITENDRA SEN) पुत्र श्री कालूराम सेन है परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा घरेलू (मुहबोला) नाम पप्पू सेन (PAPPU SEN) दर्ज हो गया है जबकि अंकसूची व सभी दस्तावेजों में मेरा नाम जितेन्द्र सेन (JITENDRA SEN) है. यह कि मुझे जितेन्द्र सेन (JITENDRA SEN) नाम से जाना व पहचाना जाये मेरा पता- ग्राम पोस्ट खितवास तह. बैरासिया, जिला भोपाल मध्यप्रदेश पिन कोड 463106 है.

पुराना नाम (पप्पू सेन)	नया नाम (जितेन्द्र सेन)
(G-586)	निवासी- ग्राम पोस्ट खितवास, तह- बैरासिया, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम शहीद हुसैन सत्तार जो मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 344918257 एवं स्कूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र में दर्ज होकर अन्य दस्तावेजों जैसे निशक्तता प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बैंक खाता में सईद हुसैन (SAID HUSAIN) दर्ज है इस प्रकार मैंने अपने पुराने नाम के स्थान पर नया नाम सईद हुसैन (SAID HUSAIN) ग्रहण कर लिया है, सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन, नये परिवर्तित नाम सईद हुसैन (SAID HUSAIN) के नाम से जाने पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम (शहीद हुसैन सत्तार)	नया नाम (सईद हुसैन) (SAID HUSAIN)
(G-587)	पिता- अब्दुल सत्तार निवासी- वार्ड नम्बर 08, लालबाग तकिया, रामपुरा, जिला नीमच.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं स्वरोचिष पंडित (Swarochis Pandit) पुत्र श्री राजेंद्र कुमार पंडित या कि मेरे आधार कार्ड क्रमांक 925931203610 में मेरा नाम स्वरोचिष पंडित (Sworchis Pandit) दर्ज है जबकि मेरे नाम की सही स्पेलिंग स्वरोचिष पंडित (Swarochis Pandit) है. अब से मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाए.

पुराना नाम (स्वरोचिष पंडित) (Sworchis Pandit)	नया नाम (स्वरोचिष पंडित) (Swarochis Pandit)
(G-588)	पता- म.नं. रितु-8, ई-9, एक्सटेंशन के.एन. प्रधान स्टेट दाना पानी रेस्टोरेंट के पास, बावरिया कला, भोपाल.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमृता शर्मा (AMRATA SHARMA) पत्नी श्री मनमोहन शर्मा (MANMOHAN SHARMA) हमारे पुत्री के मार्कशीट में मेरा नाम त्रुटिवश गलत लिखा गया है जो कि AMRATA के स्थान पे AMRITA हो गया है. अतः मेरी पुत्री की मार्कशीट में सुधार हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रस्तुत की जावे एवम् मेरा नाम में सुधार किया जावे.

गलत नाम

(AMRITA SHARMA)
(G-589)

सही नाम

(AMRATA SHARMA)

नाम परिवर्तन

मैं, मनीष कुमार पाठक पुत्र श्री राजेन्द्र पाठक, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे बड़े भाई अमित पाठक पुत्र श्री राजेन्द्र पाठक की पुत्री आस्था पाठक है जो पूर्व में आस्था पाठक पुत्री अमित पाठक के नाम से जानी, पहचानी जाती थी, दिनांक 01-08-2019 जरिए रजिस्ट्रीकरण के द्वारा मैंने आस्था पाठक को गोद ले लिया है. आज दिनांक के पश्चात् आस्था पाठक पुत्री मनीष कुमार पाठक के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाएगी एवं आस्था पाठक के सभी शासकीय-अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में पिता के नाम के स्थान पर मनीष कुमार पाठक लिखा एवं पढ़ा जावेगा. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

सूचनाकर्ता

मनीष कुमार पाठक

पता- गुढी गुढा का नाका, एकता विहार कॉलोनी,
लशकर ग्वालियर (म.प्र.).

(G-590)

नाम परिवर्तन

मेरा शादी पूर्व नाम गूजा खत्री पिता श्री रामदास खत्री था, शादी उपरांत मेरा नाम परी चावला पति विशाल चावला हो गया है. सो मुझे शादी दिनांक 15-11-2008 से परी चावला पति विशाल चावला के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम

(गूजा खत्री)

(G-591)

नया नाम

(परी चावला)

पति विशाल चावला

पता- 66 ए, रानी बाग कॉलोनी, मैन
खण्डवा रोड, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पासबुक एवं बिजली बिल में मेरा नाम मोहन सिंह सजवाण अंकित है एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मोहन सिंह दर्ज है, ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय-अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मोहन सिंह के स्थान पर मोहन सिंह सजवाण के नाम से जाना, पहचाना, लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(मोहन सिंह)
(MOHAN SINGH)

(G-592)

नया नाम

(मोहन सिंह सजवाण)

(MOHAN SINGH SAJWAN)

पता- म.नं. 1235, आर्दश नगर, पटेल किराना स्टोर्स
के पास, मानेगांव, पोस्ट खमरिया, थाना रांझी, जिला जबलपुर.

उपनाम परिवर्तन

समस्त आम खास को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनादाता के शासकीय कागजातों में कई स्थान पर उपनाम द्विवेदी एवं कुछ कागजातों में दुबे लिखा है. लिहाजा भविष्य में मुझ सूचनादाता का नाम श्रीमती सुनीता द्विवेदी पत्नी श्री शिवनारायण दुबे के स्थान पर श्रीमती सुनीता दुबे पत्नी श्री शिवनारायण दुबे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(सुनीता द्विवेदी)

(सुनीता दुबे)

(G-593)

उपनाम परिवर्तन

समस्त आम खास को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनादाता के शासकीय कागजातों में कई स्थान पर उपनाम द्विवेदी एवं कुछ कागजातों में दुबे लिखा है. लिहाजा भविष्य में मुझ सूचनादाता का नाम शिवनारायण द्विवेदी पुत्र श्री के.एन. दुबे के स्थान पर शिवनारायण दुबे पुत्र श्री के.एन. दुबे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(शिवनारायण द्विवेदी)

(शिवनारायण दुबे)

(G-594)

कुलनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम शीला बलवानी आत्मजा श्री प्रकाश एच. बलवानी, निवासी अरेरा कॉलोनी, भोपाल था और शादी के पश्चात् मेरा नाम शीला मलानी पत्नी श्री शंकर आर. मलानी, निवासी ई-7/एमआईजी-172, 11 नं. बस स्टाप के पास, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016 (म.प्र.) हो गया है.

अतः अब मुझे शीला मलानी पत्नी श्री शंकर आर. मलानी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(शीला बलवानी)

(शीला मलानी)

(G-595)

CHANGE OF NAME

Prabhman Jyot Singh S/o Narender Singh, Mother Name Navneet Kaur, Age 21, 117, Sant Nagar, Khandwa Naka, Indore, M.P.-452001 that I have changed my name to Prabhmanjyot Singh Dhaliwal S/o Narinder Singh Dhaliwal Mother name Navneet Kaur Dhaliwal henceforth I shall be called Prabhmanjyot Singh Dhaliwal S/o Narinder Singh Dhaliwal. Mother name Navneet Kaur Dhaliwal only.

Old Name

New Name

(PRABHAMAN JYOT SINGH)

(PRABHAMANJYOT SINGH DHALI WAL)

S/o Narender Singh,
Mother Name Navneet KaurS/o Narinder Singh Dhaliwal,
Mother Name Navneet Kaur Dhaliwal
Address :- 117, Sant Nagar, Khandwa Naka,
Indore, (M.P.).

(G-596)

CHANGE OF NAME

Komaljyot Dhaliwal D/o Narinder Singh Dhaliwal or Komaljyot Kaur Dhaliwal D/o Narender Singh Dhaliwal, Age 28, 117, Sant Nagar, Khandwa Naka, Indore, M.P.-452001 that I have changed my name to Komaljyot Kaur Dhaliwal D/o Narinder Singh Dhaliwal, henceforth I shall be called Komaljyot Kaur Dhaliwal D/o Narinder Singh Dhaliwal.

Old Name	New Name
(KOMALJYOT DHALI WAL) D/o Narinder Singh Dhaliwal, (KOMALJYOT KAUR DHALI WAL) D/o Narender Singh Dhaliwal (G-597)	(KOMALJYOT KAUR DHALI WAL) D/o Narinder Singh Dhaliwal, Address :- 117, Sant Nagar, Khandwa Naka, Indore, (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shreya Baghel wife of Ashish Kumar Baghel residing at 104, 80 Quarter, Mahashakti Nagar, Ujjain (M.P.) Age 27 Years. I got married on 05-02-2022 with Ashish Kumar Baghel, after which I have change my name from Shreya Gupta Daughter of Mr. Sunil Kumar Gupta to Shreya Baghel for all future purposes.

(G-598)	From, Shreya Baghel, wife of Ashish Kumar Baghel, 104, 80 Quarter, Mahashakti Nagar, Ujjain (M.P.)
---------	---

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public that, my name was Anil Burneul son Shri Jagdish Bihari Burneul which has changed to Anil Mathur in the year 1975 since that I am Known as Anil Mathur. Now let me be Known and recognized by this name.

Previous Name	Current Name
(ANIL BURNEUL) (G-599)	(ANIL MATHUR) Address- 301, Sheetal Apartment, Rajaswa Colony, Ujjain (M.P.).

आम सूचना

मैं, धर्मेन्द्र सिंह मेहरा पिता स्व. फूलसिंह मेहरा, निवासी नगर निगम बिल्डिंग 1/5 जिडास कॉलेज के पास, गुरैयाघाट, मण्डला रोड, तिलहरी, जिला जबलपुर (म.प्र.) मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे धर्मेन्द्र सिंह मेहरा पिता स्व. फूलसिंह मेहरा के नाम से भविष्य जाना जावे व लिखा जावे. पूर्व में जो मेरा नाम शेर खान मंसूरी था व मेरे दस्तावेजों में उक्त नाम हट गया है. जो बचे हुये दस्तावेज हैं उसमें से भी हटा लिया जायेगा एवं आज दिनांक से भविष्य में समस्त संव्यवहार धर्मेन्द्र सिंह मेहरा के नाम से ही संपादित किये जायेंगे.

पुराना नाम	नया नाम
(शेर खान मंसूरी) (G-600)	(धर्मेन्द्र सिंह मेहरा)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जया जैन पत्नी श्री जय कुमार जैन पुत्री श्री सुगन चाँद जैन के साथ भोपाल शहर के स्थायी निवासी हूँ एवं आज दिनांक पर मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में राज कुमारी जैन के नाम से उल्लेखित है. उक्त नाम को मेरे द्वारा सहूलियत अनुसार नए नाम जया जैन के नाम से परिवर्तित किया जा रहा है. इस विज्ञप्ति के उपरांत मेरा पुकारू नाम व स्थाई नाम जया जैन विरचित किया जावेगा. नाम परिवर्तन हेतु हमारे द्वारा शपथ-पत्र भी निष्पादित किया जा रहा है. आवश्यकता पड़ने पर जिसे प्रस्तुत करने हेतु मैं तत्पर रहूंगी.

इस विज्ञप्ति के उपरांत मेरा नाम निम्न रूप से परिवर्तित किया जा रहा है.

पुराना नाम (राज कुमारी जैन) (G-601)	नया नाम (जया जैन)
---	----------------------

आम सूचना

सर्वजन व आमजन को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मुमताजउद्दीन जमालउद्दीन, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 3125/1956 व पंजीयन दिनांक 31-03-1956 है. पता नया पीठा, इन्दौर है, जिसमें पूर्व में दिनांक 2-8-1969 को फर्म की रचना में परिवर्तन किया गया था तब फर्म में 6 भागीदार (1) श्री मुमताजउद्दीन पिता जमालउद्दीन, (2) श्री हसनुद्दीन पिता जमालुद्दीन, (3) श्री मंसूर हसन पिता मंजूर हसन, (4) श्री मकसूद हसन पिता मंजूर हसन, (5) श्री मुहम्मद हारुन पिता हसनुद्दीन, (6) श्री सरफराजउद्दीन पिता मुमताजुद्दीन थे. दिनांक 01-04-1992 को सभी 6 भागीदारों द्वारा आपस में तय करके फर्म का मुख्य नाम "मे. हाजी मुमताजउद्दीन जमालउद्दीन" एवं फर्म का मुख्य पता "मालवा मिल चौराहा, इन्दौर" किया गया. तत्पश्चात् दिनांक 01-04-1996 में एक नए भागीदार श्री नासिर उद्दीन पिता श्री सरफराज उद्दीन को सभी भागीदारों की सहमति से सम्मिलित किया गया. इस प्रकार फर्म में 7 साझेदार हो गए. इसी प्रकार दिनांक 31-03-98 को फर्म के एक भागीदार श्री मुमताजुद्दीन पिता जमालुद्दीन स्वास्थ्य कारणों से फर्म से रिटायर हो गए. तत्पश्चात् दिनांक 31-03-2004 को फर्म के दो भागीदारों (1) श्री हसनुद्दीन पिता जमालुद्दीन, (2) श्री मकसूद हसन पिता मंजूर हसन स्वास्थ्य कारणों से फर्म से रिटायर हो गए तथा दो नए भागीदारों (1) श्री नजीमुद्दीन पिता हसन उद्दीन एवं (2) श्री जावेद हसन पिता मंजूर हसन दिनांक 01-04-2004 को फर्म में शामिल हुए. इसी प्रकार फर्म के एक भागीदार श्री सरफराज उद्दीन पिता श्री मुमताजउद्दीन अस्वस्थता के कारण दिनांक 31-03-2017 को फर्म से रिटायर हो गए एवं दिनांक 01-04-2017 को फर्म में एक नए भागीदार श्री सोहेलउद्दीन पिता श्री सरफराजउद्दीन ने शामिल होने की इच्छा जाहिर की जिसे शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया. वर्तमान में फर्म में 6 भागीदार इस प्रकार हैं (1) श्री मंसूर हसन पिता मंजूर हसन, (2) श्री मोहम्मद हारुन पिता श्री हसनउद्दीन (3) श्री नजीमउद्दीन पिता हसनउद्दीन, (4) श्री जावेद हसन पिता मंसूर हसन (5) श्री नासिर उद्दीन पिता श्री सरफराज उद्दीन (6) श्री सोहेल उद्दीन पिता श्री सरफराज उद्दीन हैं जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

मेसर्स हाजी मुमताजउद्दीन जमालउद्दीन,
मंसूर हसन पिता श्री मंजूर हसन,
(भागीदार)

(G-602)

पता- 30, काजी की चाल, मालवा मिल, इन्दौर.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स अभिषेक पब्लिकेशन जिसका पंजीयन क्रमांक 03-27-03-00209-10 व पंजीयन दिनांक 19-02-2010 तथा पंजीकृत पता 19 प्रिंस, यशवंत रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर है, जिसमें भागीदारी के समय पांच भागीदार (1) श्री कमलेश मुरजानी पिता श्री आनंद मुरजानी, (2) श्री हितेश नागवानी

पिता श्री विजय कुमार नागवानी, (3) श्री विजय खुराना पिता श्री नानकराम खुराना, (4) श्री हर्षवर्धन लाड पिता श्री जगदीशचंद्र लाड, (5) श्री गौरी अग्रवाल पिता श्री कौशल बंसल थे. दिनांक 01-04-2020 को फर्म के एक भागीदार श्री हितेश नागवानी पिता श्री विजय कुमार नागवानी निजी कारणों से फर्म से रिटायर हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में शेष चार भागीदार हैं, जो इस प्रकार हैं:- (1) श्री कमलेश मुरजानी पिता श्री आनंद मुरजानी, (2) श्री विजय खुराना पिता श्री नानकराम खुराना, (3) श्री हर्षवर्धन लाड पिता श्री जगदीशचंद्र लाड, (4) श्री गौरी अग्रवाल पिता श्री कौशल बंसल हैं, जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

मेसर्स अभिषेक पब्लिकेशन,

विजय खुराना,

(भागीदार)

(G-603)

पता- 06, जयरामपुर कॉलोनी, इन्दौर.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रमेश चंद्र गोयल स्टेशन, श्योपुर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक एआरजी-फर्म-62, दिनांक 08-12-2004 है. जिसमें दिनांक 01-04-2021 को नवीन भागीदार के रूप में श्री शुभम गोयल पुत्र श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, नि.- पानी की टंकी के पास, वार्ड क्र. 08, श्योपुर एवं दिव्याशु गोयल पुत्र श्री रमेश चंद्र गोयल नि.- पानी की टंकी के पास, वार्ड क्र. 08, श्योपुर सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 01-04-2021 को भागीदार रचना गोयल पुत्री स्व. श्री सुआलाल गोयल, नि.- पानी की टंकी के पास, वार्ड क्र. 08, श्योपुर स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मेसर्स रमेश चंद्र गोयल,

रमेश चंद्र गोयल,

(भागीदार)

(G-604)

स्टेशन रोड, श्योपुर.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s LEE VEDLA EXPORTERS & IMPORTERS, पता- 12-A, INDUSTRIAL ESTATE, GOVINDPURA, BHOPAL, पंजी. नं. 01-01-01-0389-10 दिनांक 18-03-2010 है, Shri Lalit Sachdeva S/o Shri V.P. Sachdeva, R/o 12-A, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal, दिनांक 29-09-2021 को मृत्यु हो जाने के कारण भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. Mr. Divyansh Sachdeva S/o Shri Lalit Sachdeva, R/o Govindpura, Bhopal, दिनांक 01-10-2021 को भागीदारी फर्म में शामिल हुए. Shri V.P. Sachdeva S/o Late Shri Thakkardas, R/o Govindpura, Bhopal एवं Mrs. Leela Sachdeva W/o Shri V.P. Sachdeva, R/o Govindpura, Bhopal दिनांक 01-03-2022 को भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. दिनांक 01-03-2022 को भागीदारी फर्म का पता परिवर्तन कर 12-B, INDUSTRIAL ESTATE, GOVINDPURA, BHOPAL किया गया है.

FOR M/s LEE VEDLA EXPORTERS & IMPORTERS,

ARADHANA SACHDEVA,

(Partner)

12-B, INDUSTRIAL ESTATE, GOVINDPURA,

BHOPAL

(G-605)

मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) CIN: U40109MP2001SGC014880

मुख्य अभियन्ता (योजना एवं रूपांकन)

ब्लाक न.2, शक्ति भवन,

रामपुर, जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक 07 मार्च, 2022

क्र.-04-02-195-यो.रूपां./558.-यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) उ. के अधिन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढीकरण के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

- (1) नाम : ये परियोजनायें 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट (के.व्ही) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।
- (2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है :-
 - (1) महत्वपूर्ण विभागीय कार्य :
 - (क) 132 के.व्ही कार्य :
 1. 220 के.व्ही. उपकेंद्र सागर से बंडा 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 29 कि.मी. तथा 220 के.व्ही. उपकेंद्र सागर एवं बंडा, 132 के.व्ही उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 932.00 लाख।
 2. 132 के.व्ही. उपकेंद्र कैमोर से बरही 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 33 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र कैमोर एवं बरही, 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 900.00 लाख।
 3. 132 के.व्ही. उपकेंद्र देवरी से रहली 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 25 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र देवरी एवं रहली 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 1674.00 लाख।
 4. 132 के.व्ही करपगाँव में 132 के.व्ही. उपकेंद्र नरसिंहपुर-गाड़रवाडा सिंगल सर्किट लाइन की एलआईएलओ व्यवस्था हेतु लाइन का निर्माण लंबाई 06 कि.मी., तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र करपगाँव में संबंधित 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 622.00 लाख।
 5. 220 के.व्ही. उपकेंद्र कोटर से मझगवाँ 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 35 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र कोटर एवं मझगवाँ 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 2255.00 लाख।
 6. 220 के.व्ही. उपकेंद्र शिवपुरी से बैराड 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 33 कि.मी. तथा 220 के.व्ही. उपकेंद्र शिवपुरी एवं बैराड 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 917.00 लाख।
 7. 132 के.व्ही. उपकेंद्र भांडेर से इंदरगढ़ 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 33 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र भांडेर एवं इंदरगढ़ 132के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत-रु. 1130.00 लाख।

8. 220 के.व्ही. उपकेंद्र बैतूल से चिचोली 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 27 कि.मी. तथा 220 के.व्ही. उपकेंद्र बैतूल एवं चिचोली 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 776.00 लाख।
9. 132 के.व्ही. उपकेंद्र भौरा से कपासी 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 23 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र भौरा एवं कपासी 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 691.00 लाख।
10. 220 के.व्ही. उपकेंद्र अशोकनगर से कोठिया 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 38 कि.मी. तथा 220 के.व्ही. उपकेंद्र अशोकनगर एवं कोठिया 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 810.00 लाख।
11. 132 के.व्ही. उपकेंद्र माडा से 132 के.व्ही उपकेंद्र ईशागढ़ तक 132 के.व्ही डीसीएसएस नई लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 38 कि.मी., तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र माडा एवं ईशागढ़ 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 2416.00 लाख।
12. 220 के.व्ही. उपकेंद्र शिवपुरी से मोहना 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 63 कि.मी. तथा 220 के.व्ही. उपकेंद्र शिवपुरी एवं मोहना 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 1581.00 लाख।
13. 220 के.व्ही. उपकेंद्र भिण्ड से प्रतापपुरा 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस नई लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 25 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र भिण्ड एवं प्रतापपुरा 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 1674.00 लाख।
14. 220 के.व्ही. उपकेंद्र गंजबासोदा से सहरवासा 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 29 कि.मी. तथा 220 के.व्ही. उपकेंद्र गंजबासोदा एवं सहरवासा 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 852.00 लाख।
15. 220 के.व्ही. उपकेंद्र गंजबासोदा से शमशाबाद 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस नई लाईन का कार्य, लंबाई 35 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र गंजबासोदा एवं शमशाबाद 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 2255.00 लाख।
16. 132 के.व्ही. उपकेंद्र आगरुद से विक्रम उद्योगपुरी 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस नई लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 05 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र आगरुद एवं 132 के.व्ही. विक्रम उद्योगपुरी उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 512.00 लाख।
17. 132 के.व्ही अंजड में 132 के.व्ही. जुलवानिया-बड़वानी लाईन की एलआईएलओ व्यवस्था हेतु लाईन का निर्माण, लंबाई 01 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र अंजड में संबंधित 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 185.00 लाख।
18. 132 के.व्ही बरोठा में 132 के.व्ही. देवास-चापड़ा लाईन की एलआईएलओ व्यवस्था हेतु लाईन का निर्माण, लंबाई 05 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र बरोठा में संबंधित 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 562.00 लाख।
19. 220 के.व्ही. उपकेंद्र बड़नगर से छायेन 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 29 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र बड़नगर एवं छायेन 132 के.व्ही. उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत—रु. 822.00 लाख।
20. 132 के.व्ही. उपकेंद्र सिवनी से किशनगढ़ 132 के.व्ही उपकेंद्र तक 132 के.व्ही डीसीएसएस नई लाईन का निर्माण, लंबाई 30 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र सिवनी एवं 132 के.व्ही. किशनगढ़ उपकेंद्र में संबंधित 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य अनुमानित लागत—रु. 1953.00 लाख।

37. 132 केव्ही उपकेन्द्र डिंडोरी से गोरखपुर 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 48 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र डिंडोरी एवं 132 केव्ही गोरखपुर में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 1420.00 लाख।
38. 132 केव्ही उपकेन्द्र खुरई से खिमलासा 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 20.94 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र खुरई एवं 132 केव्ही खिमलासा में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 744.00 लाख।
39. 220 केव्ही उपकेन्द्र छिंदवाड़ा से साउरी 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 31.23 कि.मी. तथा 220 केव्ही उपकेन्द्र छिंदवाड़ा एवं 132 केव्ही साउरी में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 1001.00 लाख।
40. 132 केव्ही उपकेन्द्र नरसिंहगढ़ से सुथालिया 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 50 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र नरसिंहगढ़ एवं 132 उपकेंद्र सुथालिया में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 1470.00 लाख।
41. 220 केव्ही उपकेन्द्र मुंगलियाछाप से बिलकीसगंज 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 17.20 कि.मी. तथा 220 केव्ही उपकेन्द्र मुंगलियाछाप एवं 132 केव्ही बिलकीसगंज में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 650.00 लाख।
42. 132 केव्ही उपकेन्द्र अम्बाह से पोरसा 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 22.52 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र अम्बाह एवं 132 केव्ही पोरसा में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 750.00 लाख।
43. 132 केव्ही उपकेन्द्र सैलाना से शिवगढ़ 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 25 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र सैलाना एवं 132 केव्ही शिवगढ़ में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 845.00 लाख।
44. 132 केव्ही उपकेन्द्र नसरुलागंज से गोपालपुर 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 24 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र नसरुलागंज एवं 132 केव्ही गोपालपुर में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 820.00 लाख।
45. 220 केव्ही उपकेन्द्र शिवपुरी से कराहल 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 70 कि.मी. तथा 220 केव्ही उपकेन्द्र शिवपुरी एवं 132 केव्ही कराहल में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 1970.00 लाख।
46. 132 केव्ही उपकेन्द्र मंडला से बिछिया 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 45 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र मंडला एवं 132 केव्ही बिछिया में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 1345.00 लाख।
47. 220 केव्ही उपकेन्द्र बैतूल से बिसनूर 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 35.19 कि.मी. तथा 220 केव्ही उपकेन्द्र बैतूल एवं 132 केव्ही बिसनूर में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 1099.00 लाख।
48. 132 केव्ही उपकेन्द्र पृथ्वीपुर से ओरछा 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 30.28 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र पृथ्वीपुर एवं 132 केव्ही ओरछा में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 986.00 लाख।
49. 132 केव्ही उपकेन्द्र पृथ्वीपुर से निवारी 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का कार्य, लंबाई 25.70 कि.मी. तथा 132 केव्ही उपकेन्द्र पृथ्वीपुर एवं 132 केव्ही निवारी में क्रमशः 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- 865.00 लाख।

(ख) 220 केव्ही कार्य :

1. 220 केव्ही उपकेंद्र बैरागढ़ में 220 केव्ही. भोपाल-आष्टा लाईन की एलआईएलओ व्यवस्था हेतु लाईन का निर्माण लंबाई 05 कि.मी., तथा 220 केव्ही. उपकेंद्र बैरागढ़ में संबंधित 2 नग 220 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 992.00 लाख।
2. पॉवर ग्रिड के 400 केव्ही उपकेंद्र, शुजालपुर से मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के शुजालपुर 220 केव्ही. उपकेंद्र तक 220 केव्ही पारेषण लाईन(परिपथ क्र. I एवं II) के कन्डक्टर उन्नयन का कार्य कुल लंबाई 8.2 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 741.30 लाख।

3. पॉवर ग्रिड के 765 केव्ही उपकेंद्र इंदौर से मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के इंदौर-II 220 केव्ही. उपकेंद्र तक 220 केव्ही पारेषण लाईन (परिपथ क्रमांक I एवं II) के कंडक्टर उन्नयन का कार्य कुल लंबाई 23.6 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 1971.04 लाख।
- (ग) **132/33 केव्ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर :**
- (i) बुढ़ेरा, इंदरगढ़, अंजड, दिगोडा, मोहना, ताल, करपगाँव, सुल्तानपुर, नैनपुर, पीथमपुर (सेक्टर-III), बरही, बटियागढ़, कोठिया, पनागर, चिन्नौर, सिंघाना, तलकपुरा, किशनगढ़, सिंगोट, बिस्तान, देवसर, मझगवां, बड़ामलेहरा, बेरछा, वारासिवनी, हस्तिनापुर, छाजन (कुल 27 नंबर), अनुमानित लागत- रु. 16416.00 लाख।
- (ii) 132 केव्ही खिमलासा, प्रतापपुरा, बैराठ, कपासी, माडा, बिल्पांक, खुजनेर एवं चन्द्रवतीगंज (कुल 08 नंबर), अनुमानित लागत- रु. 5360.00 लाख।
- (घ) **132/33 केव्ही ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि :**
बड़ोदा, पिपरिया, जीरापुर, पोलायकलां कुल 04 नंबर, अनुमानित लागत- रु. 1904.00 लाख।
- (ङ) **220/132 केव्ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :**
- (i) 220 केव्ही पीथमपुर(सेक्टर-1), 220 केव्ही सिरमौर, 220 केव्ही चिचली, 220 केव्ही जुलवानिया (कुल 04 नंबर), अनुमानित लागत- रु. 4288.00 लाख।
- (ii) 220 केव्ही सिवनी, राजगढ़ (धार), निमरानी, गुना, शिवपुरी एवं 400 केव्ही सागर (कुल 06 नंबर), अनुमानित लागत- रु. 6486.00 लाख
- (iii) 220 केव्ही टीकमगढ़, दमोह, बैरागढ़, मुंगलियाछाप, मोंगलिया एवं 400 केव्ही छैगाँव (कुल 06 नंबर), कुल अनुमानित लागत- रु. 9000.00 लाख।
- (च) **220/132 केव्ही ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि :**
220 केव्ही मेहगाँव, छैगाँव, रीवा, भोपाल, दमोह, नागदा (कुल 06 नंबर), अनुमानित लागत- रु. 5784.00 लाख।
- (छ) **220/33 केव्ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर :**
220 केव्ही नागदा (कुल 01 नंबर), अनुमानित लागत रु. 718.00 लाख।
- (ज) **220 केव्ही, 50 एमव्हीएआर बस रियेक्टर की स्थापना :**
220 केव्ही पांडुर्ना (कुल 01 नंबर), अनुमानित लागत रु. 538.00 लाख।
- (झ) **400/220 केव्ही 315/500 एमव्हीए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर :**
1. आष्टा 400 केव्ही एवं बीना 400 केव्ही में 315 एमव्हीए अतिरिक्त परिणामित्र की स्थापना (कुल 02 नंबर), अनुमानित लागत रु. 5475.00 लाख।
 2. जुलवानिया 400 केव्ही एवं बदनावर 400 केव्ही में 500 एमव्हीए अतिरिक्त परिणामित्र की स्थापना (कुल 2 नंबर), अनुमानित लागत रु. 6200.00 लाख।
- (ञ) **नवीन 132/33 केव्ही उपकेंद्रों का निर्माण :**
1. फूलबाग (जिला-ग्वालियर) में 132 केव्ही जीआईएस उपकेंद्र क्षमता 2X50 एमव्हीए, 132 /33 केव्ही का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत रु. 4400.00 लाख।
 2. 132 केव्ही उपकेंद्र फूलबाग (जिला-ग्वालियर) हेतु 132 केव्ही महलगाँव - ग्वालियर-2 डीसीडीएस लाइन के एक सर्किट का लीलो कार्य, कुल लंबाई-06 कि.मी., अनुमानित लागत-रु. 4912.52 लाख।
 3. गडला (जिला-गुना) में 2X50 एमव्हीए 132 /33 केव्ही क्षमता के उपकेंद्र का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 2000.00 लाख।
 4. गुना 220 केव्ही से गडला 132 केव्ही डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 45 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 3879.27 लाख।
 5. 220 केव्ही गुना में 2 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 185.00 लाख।
 6. अटूटखास (जिला-खंडवा) में 2X50 एमव्हीए 132 /33 केव्ही क्षमता के उपकेंद्र का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत रु. 2000.00 लाख।
 7. अटूटखास में 132 केव्ही उपकेंद्र के निर्माण हेतु 132 केव्ही बरवाहा-छैगाँव लाइन के एक सर्किट का लीलो कार्य, कुल लंबाई 25 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 1989.18 लाख।
 8. सलकनपुर (जिला-सिहोर) में 2X50 एमव्हीए 132 /33 केव्ही क्षमता के उपकेंद्र का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत रु. 2000.00 लाख। (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)

9. 220 केव्ही बुधनी से सलकनपुर 132 केव्ही डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 25 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 1989.00 लाख।
10. 220 केव्ही बुधनी में 2 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु.185.00 लाख।
11. बोदुनदाकला (जिला-बालाघाट) में 2X50 एमव्हीए 132 /33 केव्ही क्षमता के उपकेंद्र का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत रु. 2350.00 लाख।
12. 400 केव्ही किरनापुर से बोदुनदाकला 132 केव्ही डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 21 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 2200.00 लाख।
13. 400 केव्ही किरनापुर में 2 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 260.00 लाख।
- (ट) 220 केव्ही लाइन के संशोधन का कार्य :
चापड़ा 220 केव्ही उपकेंद्र के लीलो भाग को आष्टा (400 केव्ही)-इंदौर-(II) लाइन तक विस्तारीकरण करना तथा आष्टा-देवास लाईन को सामान्य करने का कार्य, कुल लंबाई 10 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 1120.00 लाख।
- (ठ) विद्यमान 132 केव्ही डीपी लाईन को टॉवर लाईन में परिवर्तित करने का कार्य :
132 केव्ही जबलपुर-शहपुरा सिंगल सर्किट डीपी लाईन को डबल सर्किट टॉवर लाईन में परिवर्तित करने का कार्य एवं संबंधित 1नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 18 कि.मी. अनुमानित लागत रु. 2765.33 लाख।
- (ड) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :
220 केव्ही, 132 केव्ही एवं 33 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य :
- (i) 220 केव्ही फीडर बे :
बुधनी 220 केव्ही (2), (कुल 02 नंबर), अनुमानित लागत रु. 427.04 लाख।
- (ii) 132 केव्ही फीडर बे :
132 केव्ही मोहासा बाबई (01), 220 केव्ही दमोह (01), 132 केव्ही पटेरा (02), 220 केव्ही भोपाल चंबल (02), 220 केव्ही भोपाल (01), 132 केव्ही मनावर (01), 132 केव्ही सुवासरा (02), 132 केव्ही सतवास (02), 220 केव्ही हंडिया (02), 132 केव्ही अमरपाटन (01), 132 केव्ही नैट्रिप (01), 220 केव्ही चापड़ा (02), 400 केव्ही आष्टा (02) एवं 220 केव्ही पीथमपुर सेक्टर-III (01) (कुल 21 नंबर), अनुमानित लागत रु. 2307.96 लाख।
- (iii) 33 केव्ही फीडर बे :
132 केव्ही श्यामगढ़ (01), 132 केव्ही इंतखेडी (02), 220 केव्ही दमोह (01), 400केव्ही जुलवानिया (01), 132 केव्ही तलकपुरा (02), 132 केव्ही राऊ (02), 132 केव्ही बड़ोदा (01), 132 केव्ही बंडा (01), 132 केव्ही तेजगढ़ (01), 132 केव्ही सिंगोठ (01), 132केव्ही स्लीमनाबाद (02), 132केव्ही जीरापुर (01), 132 केव्ही अमरपाटन (01), 220 केव्ही सारणी (01), 220 केव्ही विदिशा (01), 220 केव्ही बड़वाहा (01), 132 केव्ही पवई (01), 132 केव्ही श्यामपुर (01), 132 केव्ही टीकमगढ़ (01), 132केव्ही बड़मलेहरा (01), 132 केव्ही अमला (01), 132 केव्ही रीवा (II)(01), 132 केव्ही बड़वानी (01) (कुल 27 नंबर), अनुमानित लागत रु. 869.53 लाख।
- (iv) अतिरिक्त 160 एमव्हीए परिणामित्र :
220 केव्ही इंदौर (01), 400 केव्ही आष्टा (01) (कुल 02 नंबर), अनुमानित लागत रु. 2945.47 लाख।
- (v) 132 केव्ही पारिषण लाईन :
मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड, पीथमपुर के प्लॉट क्रमांक 3ए, खेड़ा औद्योगिक विकास क्षेत्र, सेक्टर-3, पीथमपुर को 220 केव्ही उपकेंद्र पीथमपुर(सेक्टर-3) से 10एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 4.3 कि.मी., कुल लागत- रु. 2845.80 लाख।
- (ढ) कुल अनुमानित लागत :
उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 1632.10 करोड़ है।
- (3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :
उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारिषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारिषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों

और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

एस. के. गायकवाड़,

मुख्य अभियंता (मा. संसा. एवं प्रशा.),
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

(G-606)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
प्रारूप-पांच

[देखिये नियम 5 (1)]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 की धारा 5 (1) व 5 (2) के अन्तर्गत सामाजिक पंजीयन, लोक न्यास,
शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. /बी-113/2021-22/.-आवेदक अध्यक्ष जगदीश पिता वल्लभदस विजयवर्गीय, निवासी अकोदिया मंडी, आवेदन प्रस्तुतकर्ता प्रवीण जैन, तहसील शुजालपुर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 2 की उपधारा (4) से अभिप्राय के लिये मानव सेवा व स्वास्थ्य व अन्य सेवा प्रदान करना तथा लोक न्यास धार्मिक एवं पारमर्थिक न्यास, अकोदिया मंडी पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, जिस पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अंदर स्वयं अथवा किसी वैध प्रतिनिधि अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1. न्यास का मुख्यालय : सार्वजनिक धर्मशाला भवन, वार्ड नं. 11, रेल्वे स्टेशन रोड, अकोदिया मंडी, जिला शाजापुर, म.प्र.0 -465223
2. न्यास का कार्यक्षेत्र : नगर पंचायत अकोदिया मण्डी
3. न्यास का उद्देश्य : मानव सेवा व स्वास्थ्य अन्य सेवा प्रदान करना
4. न्यास आय के साधन : किराया अनुदान द्वारा

चल-अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है :-

अचल सम्पत्ति

वार्ड नम्बर 11, अकोदिया मण्डी में मेन रोड पर टप्पा चौराह पर दो मंजिला पक्का निर्मित भवन, एक पक्का भवन अनुमानित कीमत 20000000/- रुपये

चल सम्पत्ति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अकोदिया मंडी में एफ. डी. नग 7, अनुमानित मूल्य 1536007/- रुपये तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा अकोदिया मण्डी में एफ. डी. नग 14 अनुमानित कीमत 2447276/- रुपये इस प्रकार कुल एफ.डी. संख्या 21 अनुमानित राशि 3983283/- रुपये सामान चल सम्पत्ति चरण सूची अनुसार कुल नग 1501 अनुमानित राशि 25221583/- रुपये है.

पेशी दिनांक 24 दिसम्बर 2021

(G-607)

प्रकाश कसबे, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट क्षेत्र धार, जिला धार, मध्यप्रदेश
फार्म नम्बर-3
[देखिये नियम 4 (2)]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (तीरा 1951) की धारा 4 के तहत न्यास पंजीयन बाबत्.
 धार, दिनांक 15 मार्च 2022

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार.

क्र. 1398/रीडर-1/2022/-चूंकि, ट्रस्ट "डॉ मनोहर सिंह ठाकुर सेवालय ट्रस्ट" पता 03, दत्त गली धारेश्वर मार्ग, धार तहसील व जिला धार की ओर से अध्यक्ष श्री अजयसिंह ठाकुर पिता स्व. श्री डॉ. मनोहर सिंह ठाकुर, निवासी 03, दत्त गली धारेश्वर मार्ग, धार तहसील व जिला धार ने इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबद् मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखे कि उपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 18 अप्रैल, 2022 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबद् कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीब करें और मेरे समक्ष दिनांक 18 अप्रैल, 2022 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

आज दिनांक 15 मार्च, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| 1. | लोक न्यास का नाम | : | "डॉ मनोहर सिंह ठाकुर सेवालय ट्रस्ट" पता 03, दत्त गली धारेश्वर मार्ग, धार तहसील व जिला धार. |
| 2. | चल संपत्ति | : | 11000/- |
| 3. | अचल संपत्ति | : | निरंक |

नेहा शिवहरे, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-608)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अधारताल, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
प्रारूप-4
[नियम 5 (1) देखिये]

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत

रा. प्र. क्र./002/बी-113/2021-22.-चूंकि, प्रकरण में आवेदक मनोज सनपाल पिता श्री किशनचंद सनपाल, निवासी 3, इंद्रपुरी, कॉलोनी के पास, यादव मोहल्ला, जिला जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन "अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत" का नवीन न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया.

अतः एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल 2022 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उक्त नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाशक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम/पता : "अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत"
2. न्यास का पता- : द्वितीय मंजिल, आर. के. टॉवर के पीछे, लाईफ स्टाईल फर्नीचर राइट टाउन, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
3. न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य : पूर्णरूपेण से अधिवक्ता कल्याण, सम्मान, सुरक्षा सर्वोपरि तथा मानव सेवा रहेगा. इसकी आय इसी तरह के अन्य सामाजिक कार्यों और अधिवक्ता हितों में लगायी जावेगी. इसका कोई भी लाभ न्यास सदस्य या उनके वारसानों को समर्पित नहीं होगा. अतः अधिवक्ता समाज से जाग्रति पैदा करने के लिये धनराशि संग्रह की जाएगी. न्यासीगण न्यास के समाज से चंदे के रूप में धन संग्रह करके उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे.
4. उत्तराधिकार : पद त्याग अथवा मृत्यु उपरांत संस्थापक सदस्यों की सहमति से अन्य न्यासधारी अथवा प्रबंधक की नियुक्ति.

जारी दिनांक- 09-03-2022

पेशी दिनांक- 27-04-2022

नमः शिवाय अरजरिया, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-609)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास कनाडिया, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
(फार्म-चार)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951: तीसः (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अंतर्गत आवेदक श्री सुरेन्द्र भिडे पिता श्री विष्णु भिडे निवासी 53 नारायण बाग इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा " द लाईफ इटरनल ट्रस्ट (म.प्र.) श्री निर्मल धाम आश्रम रॉयल स्टेट ग्राम कनाडिया, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश" के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश कराना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यतार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : " द लाईफ इटरनल ट्रस्ट, मध्यप्रदेश
2. पता- : श्री निर्मल धाम आश्रम रॉयल स्टेट ग्राम कनाडिया, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
3. चल सम्पत्ति : 702072/- अक्षरी सात लाख दो हजार बहत्तर रु. मात्र
4. अचल सम्पत्ति : सर्वे नं. 291/1/2/1 रकबा 0.210 हे. ग्राम कनाडिया, तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर.
सर्वे नं. 22/1/2/2 रकबा 0.209 हे. ग्राम लालपुर तह. कोठी महल, जिला उज्जैन.
सर्वे नं 291/2 रकबा 1.267 हे. पैकि 0.202 हे. ग्राम कनाडिया तह. कनाडिया, जिला इन्दौर.
सर्वे नं 891/3 रकबा 0.132 हे. ग्राम देवास जूनियर तह. देवासनगर, जिला देवास
सर्वे नं 891/4 रकबा 0.118 हे. ग्राम देवास जूनियर तह. देवासनगर, जिला देवास

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शाश्वत शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-610)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 16 मार्च 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2022-506-। खुरई सहकारी कृषक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., खुरई वि.ख. खुरई, जिला सागर मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. AR-SGR-485 दिनांक 22 दिसम्बर 1945 को कार्यालयीन आदेश क्र.-परिसमापन-2016-920, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 12 जनवरी 2022 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक, 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र.-परिसमापन-2016-920, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए खुरई सहकारी कृषक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., खुरई वि.ख. खुरई जिला सागर मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. AR-SGR-485 दिनांक 22 दिसम्बर 1945 को संस्था की आमसभा की कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ :-

क्र.	नाम-पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री प्रवीण जैन S/o श्री राजेन्द्र कुमार जैन	अध्यक्ष
2.	श्री बलराम यादव S/o श्री शिवदयाल यादव	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती मालती कुशवाहा W/o श्री छोटेलाल	सदस्य
4.	श्रीमती राजेशरानी कुर्मी W/o श्री बद्रीप्रसाद	सदस्य
5.	श्री कैलाशचंद मोदी S/o श्री जमना प्रसाद मोदी	सदस्य
6.	श्री राधेलाल नेमा S/o श्री कन्हेदीलाल नेमा	सदस्य
7.	श्री राजकुमार राजपूत S/o श्री बहादुर सिंह	सदस्य
8.	श्री ओमप्रकाश ठाकुर S/o श्री पंचम सिंह	सदस्य
9.	श्रीमती अनीता गौड़ W/o श्री वीरसिंह गौड़	सदस्य
10.	श्री दामोदर कोरी S/o श्री पूरनलाल कोरी	सदस्य
11.	श्री खुमान रघुवंशी S/o श्री अर्जुन सिंह	सदस्य

साथ ही निर्देश दिया जाता है कि संस्था का निर्वाचन 03 माह के अन्दर करवाकर नव-निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

(G-611)

कार्यालय, परिसमापक महात्मागांधी सड़क भवन निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 08 मार्च 2022

[मध्यप्रदेश सहकार्ये नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्रमांक-परिसमापन-2022-क्यू-1-। महात्मागांधी सड़क भवन निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1141 दिनांक 07 अगस्त 1974 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक-परि.-2022-56, दिनांक 12 जनवरी 2022 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 07 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-612)

गोविंदप्रसाद नागवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक आदर्श महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 08 मार्च 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्रमांक-परिसमापन-2022-क्यू-1- आदर्श महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1198 दिनांक 27 दिसम्बर 1991 है, को उप रजिस्ट्रार-सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक-परि.-2021-434, दिनांक 31 मार्च 2021 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 07 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-613)

गोविंदप्रसाद नागवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2022—चैत्र 11, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)